कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा

Tel. no.-06341-223812, 8986915300
E-mail- rwdsheikhpura20@gmail.com

पत्रांक........1698............/ शेखपुरा, दिनांक........19/10/2024........./

प्रेषक,
ई0 विमल कुमार,
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

सेवा में,
श्री पंकज कुमार (संवेदक),
पिता–स्व0 परमानन्द सिंह,
ग्राम–माफी, टोला–भोजपुर, पोस्ट–वारिसलीगंज,
थाना–वारिसलीगंज, जिला–नवादा।
पिन–805130, मो0 नं0–9334457321, 7870659000

विषयः– शीर्ष–Old MR योजनान्तर्गत आपके द्वारा एकरारित पथों में अनुरक्षण कार्य कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक कहना है कि शीर्ष–Old MR योजनान्तर्गत आपके द्वारा एकरारित निम्नांकित पथों का स्थल निरीक्षण जिला पदाधिकारी, महोदय शेखपुरा द्वारा नामित पदाधिकारी द्वारा माह अक्टूबर 2024 में BRRMS App के माध्यम से किया गया, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	पथ का नाम	प्रदत श्रेणी
1.	खलील–मलीलचक से भदेली पथ।	असंतोषजनक
2.	शेखपुरा सिकन्दरा पथ से सियानी पथ।	असंतोषजनक
3.	चेवाड़ा बिल्लो पथ से बहुआरा पथ।	असंतोषजनक
4.	चेवाड़ा सिरारी पथ से गगरी पथ।	असंतोषजनक

उल्लेखित पथों को निरीक्षणोपरान्त पथ को U (Unsatisfactory) श्रेणी में रखा गया है, जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है। आपके द्वारा किये गए एकरारनामा के अनुसार पंचवर्षीय अनुरक्षण कराना आपकी पूर्ण जबावदेही है।

O/C

अतः कार्यहित में निदेशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के सात दिनों के अन्दर संबंधित कनीयन्ता अभियन्ता के देख–रेख में सभी आवश्यक अनुरक्षण कार्य पूर्ण कराकर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करें, अन्यथा वाध्य होकर बिहार ठिकेदारी पंजीकरण नियम (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 के नियम–11 के आलोक में आपके निबंधन को काली सूची में डालने एवं निबंधन को निलबंन हेतु अनुशंसा भेजने की कार्रवाई की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन
19.10.24
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमण्डल,
शेखपुरा